अररिया समाहरणालय
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

संभावित बाढ़, 2014 की पूर्व तैयारी के मद्देनजर महाजाल एवं नाव की आवश्यकता होगी, जिसके दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से सील बंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को जिलाधिकारी, अररिया के पदनाम से मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नगद जिला नजारत प्रशाखा, अररिया में जमा करनी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 10.07.2014 को अपराहन् 1.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी,** जिसमें स्वयं निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवश्यक सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	आकार	विशिष्टयाँ	अन्य विवरण	सामग्री की मात्रा
1	महाजाल	100' X 25' X gap 3"	नायलोन धागा (Nylon)	दर प्रति अद्द	दो पीस
2	नाव	मंझौली नाव (20'X 5'X 1-9') फीट में	1. नीचे तरी-तख्ता-मोटाई 1.25 ईंच 2. तरी की चौड़ाई-60 इंच (05 फीट) 3. तरी की लम्बाई-17 फीट 4. तरी पर सर्पोटर-3"x2"-10 5. बगली-तख्ता की मोटाई-01 इंच 21x1.5"x1" (दोनो साईड) 6. बगली दिवाल-तख्ता पर सर्पोटर-3 x 2" (दोनो साईड)-10 पीस 7. बगली के दोनों साईड बंधन बत्ती-उपरी भाग "3 x 1.5" (दोनो साईड) 8. रस्सी बाँधने वाला खुंटा 3"x2.5" -02 पीस 9. मलाह मांग पाटन दोनों साईड-तख्ता 01 इंच नीचे सर्पोटर "4x2" दोनों साईड (04 फीट लम्बाई में) 10. उपरी भाग सर्पोटर (गुरहा)-मोटाई "4x3" -03 पीस 11. आगे-पीछे मांग 5"x3"x3.5" - 02 पीस	दर प्रति अद्द	आवश्यकतानुसार

निविदा की आवश्यक शर्त्तें :-

1. नाव से संबंधित स्वीकृत निविदाकर्त्ता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति अदेश के **पन्द्रह दिनों के अन्दर** उचित साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार नाव की आपूर्ति करते हुए आवश्यकतानुसार अररिया जिला के संबंधित अंचल मुख्यालयों तक पहुँचा देंगे। प्रति नाव के साथ आवश्यक सामग्री यथा रस्सा मोटावाला 50 फीट, पतवार एवं लंगड़ एवं अन्य नाव परिचालन से संबंधित सामग्री भी आपूर्तिकर्त्ता को देना होगा। नाव जामुन की लकड़ी का होना चाहिए। अलग से कोई परिवहन शुल्क नहीं दिया जायेगा।
2. महाजाल से संबंधित स्वीकृत निविदाकर्त्ता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति अदेश के 10 दिनों के अन्दर उचित साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार महाजाल की आपूर्ति कर देंगे।
3. निविदा के साथ अपनी प्रतिष्ठान का अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्य-कर एवं आयकर विभाग का अद्यतन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
4. निविदा में सभी सामग्रियों की सभी करों सहित दर स्पष्ट करना आवश्यक होगा।
5. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

6. स्वीकृत निविदाकर्त्ता के द्वारा ससमय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में निविदादाता का निविदा रद्द कर दिया जाएगा एवं उनका जमानत राशि जप्त कर ली जाएगी तथा स्थानीय बाजार से सामग्री क्रय करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को अधिकार सुरक्षित रहेगा।

7. आपूर्ति किये जाने वाले नाव की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। गुणवत्ता से किसी प्रकार कर समझौता नहीं किया जायेगा।

8. निविदा में सभी नावों का दर एवं सभी तरह के कर को अलग-अलग अंकित करते हुए कुल दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।

9. आपूर्तिकर्त्ता उक्त सामग्री के देख-भाल, उपयोग एवं रख-रखाव के संदर्भ में कम से कम पाँच व्यक्तियों को अनुमंडलवार प्रशिक्षित करेंगे ताकि भविष्य में रख-रखाव की समस्या न हो।

10. आपूर्ति किये गये नाव का माइनर रिपेरिंग, गहनीकरण एवं रख-रखाव तीन साल तक अपने अनुभवी कारीगरों के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को करना होगा। इसके लिए आपूर्तिकर्त्ता को कुल भुगतेय राशि का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी देना अनिवार्य होगा।

11. आपूर्ति की गई नाव में गुणवत्ता एवं किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान नहीं किया जायेगा।

12. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र वापस कर दी जायेगी।

13. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी जिलाधिकारी, अररिया के बेवसाईट dm-araria.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
अररिया

अररिया समाहरणालय

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

संभावित बाढ़, 2014 की पूर्व तैयारी के उद्देश्य से अधोलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिसके दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से सील बंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को जिलाधिकारी, अररिया के पदनाम से मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नगद जिला नजारत प्रशाखा, अररिया में जमा करनी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 10.07.2014 को अपराह्न 1.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी,** जिसमें स्वयं निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवश्यक सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार हैः-

क्र0	सामग्री का नाम	साईज/गुणवत्ता	विशिष्टयाँ/अन्य विवरणी	सामग्री की मात्रा
1	पोलिथीन शीट्स	4m x 5m (250 माईक्रोन का)	डी0जी0एस0 एण्ड डी0 में निबंधित फर्म एवं उसके मापदण्ड के अनुसार दर प्रति किलो।	आवश्यकतानुसार
2	प्लास्टिक थैला	5 किलो एवं 2.5 किलो का सामान रखने योग्य (250 माईक्रोन)	दर प्रति किलो	आवश्यकतानुसार
3	चुड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विन्टल	आवश्यकतानुसार
4	चना	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विन्टल	आवश्यकतानुसार
5	गुड़	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विन्टल	आवश्यकतानुसार
6	सत्तू (चना का)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विन्टल	आवश्यकतानुसार
7	आयोडाइज्ड नमक	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विन्टल	आवश्यकतानुसार
8	दिया सलाई-मझौला साईज	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (10 की संख्या में)	आवश्यकतानुसार
9	मोमबत्ती	उत्तम किस्म का (ल0 6.5'' गो0 2.5'')	दर प्रति पैकेट (6 की संख्या में)	आवश्यकतानुसार
10	चावल (मंसूरी)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विन्टल में।	आवश्यकतानुसार
11	दाल (अरहर, चना, मूंग, मसूर)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विन्टल में।	आवश्यकतानुसार
12	सरसों तेल	उत्तम किस्म का	15 किलोग्राम का प्रति टीन	आवश्यकतानुसार
13	मसाला-जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम अलग-अलग	आवश्यकतानुसार
14	आलू/प्याज	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विन्टल में।	आवश्यकतानुसार
15	जलावन की लकड़ी	सुखी हुई	दर प्रति क्विन्टल में।	आवश्यकतानुसार
16	वाटर प्रूफ टेंट/पंडाल	तिरपाल, सूती एवं प्लास्टिक इत्यादि	प्रतिदिन	आवश्यकतानुसार
17	धोती	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
18	साड़ी	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
19	गंजी	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
20	लुंगी	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
21	गमछा	-	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
22	जेनरेटर (भाड़े पर ईंधन सहित)	प्रतिदिन 08 घंटा चलने के आधार पर (राहत शिविर पहुँचाकर)		आवश्यकतानुसार

23	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलने वाला लाईट (भाड़े पर)	प्रतिदिन के दर से (प्रत्येक 10 मीटर पर एक सी०एफ०एल० बल्ब, राहत शिविर में लगाने सहित)		आवश्यकतानुसार
24	खाना बनाने वाली सभी प्रकार के बर्त्तन (भाड़े पर)	प्रतिदिन के दर से (एक रसोईया एवं चार मजदूर सहित)		आवश्यकतानुसार
25	खाना बनाने का गैस चुल्हा (भाड़े पर)	बड़ा साईज का	प्रतिदिन के दर से	आवश्यकतानुसार
26	दरी, सभी साईज का (भाड़े पर)	प्रतिदिन के दर से		आवश्यकतानुसार

<u>**निविदा की आवश्यक शर्त्तें :-**</u>

1. निविदा के साथ अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान का अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्य-कर एवं आयकर विभाग का अद्यतन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
2. निविदा में सभी सामग्रियों की सभी करों सहित दर स्पष्ट करना आवश्यक होगा।
3. निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लायेंगे ताकि उनकी गुणवत्ता एवं वजन आदि की जाँच की जा सके।
4. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाताओं को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि वे आपूर्ति आदेश के 24 घंटे **(पॉलिथीन शीट्स का निविदाकर्त्ता 15 दिन के अन्दर)** के अन्दर नमूना के अनुरूप साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति करेंगे एवं आवश्यकतानुसार अररिया जिला के सभी 09 अंचल मुख्यालय तक पहुँचाएँगे। इसके लिए अलग से कोई परिवहन शुल्क या अन्य भुगतान देय नहीं होगा।
5. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
6. स्वीकृत निविदाकर्त्ता के द्वारा ससमय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में निविदादाता का निविदा रद्द कर दिया जाएगा एवं उनका जमानत राशि जप्त कर ली जाएगी तथा स्थानीय बाजार से सामग्री क्रय करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
8. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी जिलाधिकारी, अररिया 'के बेवसाईट dm-araria.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
अररिया